

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2179/2015/कोटा

अपील संख्या 2180/2015/कोटा

सहायक आयुक्त

प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, कोटा

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स चम्बल मोटर्स प्रा.लि.

कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एम.एल.पाटोदी

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.11.2016

निर्णय

ये दोनों सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 124 व 125/वैट/14-15/कोटा में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं, जिनमें अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों क्रमशः रु. 14,988/- व रु. 1,82,478/- को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2015 से असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 व 2009-10 के लिये पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 10.12.2014 के जरिये अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रु.14,988/- व रु.1,82,478/- को विवादित किया गया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान है। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) कोटा से लिखित अनुमति प्राप्त कर, दिनांक 31.07.2010 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। जांच अधिकारी ने जांच कर, पाया कि अपीलार्थी टाटा मोटर्स/कम्पनी से वाहन, कल-पुर्जे व एसेसरीज़ क्रय कर ग्राहकों को विक्रय करता है। जांच अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी ग्राहक से वाहन के मूल्य के अतिरिक्त एकसीडेन्ट वारन्टी चार्ज, बीमा सुविधा व अन्य सर्विस चार्ज, टेफ्लोन कोटिंग व एन्टीरस्ट चार्ज तथा आर.टी.ओ, पंजीयन चार्ज पेटे आदि के लिये 'Logistic Charges' के नाम से ग्राहकों से वसूल किये जाते हैं एवत् उक्त पर अपीलार्थी द्वारा वेट चार्ज नहीं किया गया है। अतः जांच अधिकारी ने दिनांक 10.08.2010 तक उक्त की विगत प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को समय प्रदान किया गया। अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने समय-समय पर उपस्थित होकर चाही गयी सूचना को प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, जिसे जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी। अन्ततः दिनांक 04.10.2010 को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विगत की जांच कर यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी ग्राहक से वाहन के मूल्य के अतिरिक्त एकसीडेन्ट वारन्टी चार्ज, बीमा सुविधा व अन्य सर्विस चार्ज, टेफ्लोन कोटिंग व एन्टीरस्ट चार्ज तथा आर.टी.ओ, पंजीयन चार्ज पेटे आदि के लिये 'Logistic Charges' के नाम से ग्राहकों से वसूल किये जाते हैं एवत् उक्त पर अपीलार्थी द्वारा वेट चार्ज नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य को करापवंचन होना अवधारित कर, प्रकरणों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु वृत्त में पदस्थापित अन्य अधिकारी को स्थनान्तरित करने हेतु उपायुक्त (प्रशासन) को लिखित में निवेदन किया गया। जिसके पश्चात् उक्त दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होने पर उक्त बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दोनों प्रकरणों में अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत नोटिसे जारी किये गये। जारी नोटिसे की पालना में अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किये गये, जिसे अस्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी ने Logistic Charges नाम से वसूल की गई राशियों को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज आरोपित किया गया तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत तालिकानुसार दोनों प्रकरणों में शास्तियां आरोपित कर पृथक्-पृथक् आदेश पारित किये गये, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर शास्तियों के बिन्दु ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है -:



अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	निर्धारण आदेश दिनांक	शास्ति
2179 / 15	2008-09	10.12.2014	14,988 / -
2180 / 15	2009-10	10.12.2014	1,82,478 / -

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश कानून एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध होने से अपस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने लोजिस्टिक चार्जेज को ग्राहकों को वाहन विक्रय करते समय दर्शाया नहीं गया है और उसका इन्द्राज लेखा पुस्तकों पाया गया इसलिए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित शास्तियाँ विधिक रूप से आरोपित की गई है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर आपत्ति उठाते हुये कथन किया कि कर दर के विवादित मामलों में प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारियों का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध निर्धारण आदेश पारित किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। तर्क दिया कि अपीलार्थी का आलोच्य अवधियों से संबंधित किसी प्रकार का पण्यावर्त निर्धारित होने से रह नहीं गया था एवम् उक्त समस्त तथ्य वक्त मूल निर्धारण आदेश के वक्त पत्रावलियों पर उपलब्ध थे। अतः दोनो अपील प्रकरणों में किसी भी प्रकार का कोई पण्यावर्त निर्धारण होने से छूट नहीं गया था, अतः अब अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकारी ग्रहण कर, निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त उठायी गयी आपत्ति पर ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में "लोजिस्टिक चार्जेज" पर कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1142 व 1143 / 2012 / अलवर मैसर्स एम.जी.




मोटर्स, अलवर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अलवर निर्णय दिनांक 31.03.2014 को प्रोद्धरित करते कथन किया कि उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाते हैं, इसलिए अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रोद्धरित के निर्णय में प्रतिपादित मत के अनुसरण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस मनन किया गया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के साथ साथ ही उद्धरत निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया।

इन प्रकरणों अधिनियम की धारा 61 के अर्न्त आरोपित शास्तियों के बिन्दु<sup>पर</sup> ही अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1142 व 1143/2012/अलवर मैसर्स एम.जी.मोटर्स, अलवर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अलवर निर्णय दिनांक 31.03.2014 को प्रोद्धरित कर उसमें प्रतिपादित मत के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 का ससम्मान अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के तथ्य उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया मेल खाते हैं, जिससे हस्तगत प्रकरण उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त आच्छारित होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकारकी जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य